



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Developmentतमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light
www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GHS Tundla (Ambala) [106]

Principal GSSS Baragaon (Ambala) [46]

Principal GSSS Raiwali (Ambala) [145]

Principal GSSS Chhapra (Ambala) [154]

यादी क्रमांक 2/20-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशाल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (नान-प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 11.06.2010 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/20-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1500.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 GHS Tundla (Ambala) [106] | Cosnt. Of one room | 309000.00 |
| 2 GSSS Baragaon (Ambala) [46] | Repair of roof tiles and B/wall | 1116900.00 |
| 3 GSSS Raiwali (Ambala) [145] | repair work | 484000.00 |
| 4 GSSS Chhapra (Ambala) [154] | Completion of 4 rooms | 1898000.00 |
| कुल राशि | | 3807900.00 |

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एस0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके राशी कम/ज्यादा प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works” (Non Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 26/2/2016

पृष्ठाकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, अम्बाला को उनके पत्र क्रमांक सा-1/2015/10/452-54 दिनांक 10.12.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त अम्बाला।
- 3 जिला खजाना अधिकारी अम्बाला
- 4 उप खजाना अधिकारी, अम्बाला कैंन्ट/बराड़ा/नारायणगढ़/मुलाना///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ़ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।
- 6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ़।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ़।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


 अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GGHS Devsar (Bhiwani) [415]

Head Master GGHS Sui (Bhiwani) [444]

Principal GSSS Fatehgarh (Bhiwani) [506]

यादी क्रमांक 2/20-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (नान-प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 11.06.2010 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/20-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1500.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 GGHS Sui (Bhiwani) [444] | Repair of rooms | 433000.00 |
| 2 GSSS Fatehgarh (Bhiwani) [506] | Repair of B/wall and main gate | 772000.00 |
| 3 GSSS Fatehgarh (Bhiwani) [506] | Const. of Library of | 897000.00 |
| 4 GGHS Devsar (Bhiwani) [415] | repair of B/wall | 450000.00 |
| कुल राशि | | 2552000.00 |

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलट्रेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एस0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके राशी कम/ज्यादा प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works” (Non Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

—ए.ए.ए.—
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला 26)2)2016

पृष्ठाकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:—

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके पत्र कमांक सा-1/2015/10/452-54 दिनांक 10.12.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी।
- 3 जिला खजाना अधिकारी भिवानी
- 4 उप खजाना अधिकारी, चरखी दादरी/लोहारू/सिवानी/बाढ़ड़ा/बवानी खेड़ा/तोशाम//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


—ए.ए.ए.—
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय



www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा में.

Head Master GHS Diwana (Fatehabad) [3295]

Head Master GHS Barseen (Fatehabad) [3351]

यादी क्रमांक 2/20-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (नान-प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 11.06.2010 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/20-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1500.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1 GHS Diwana (Fatehabad) [3295] | Repair of building | 438000.00 |
| 2 GHS Barseen (Fatehabad) [3351] | Part Payment of Const. of 7 rooms | 882984.00 |
| | कुल राशि | 1320984.00 |

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एस0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके राशी कम/ज्यादा प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works” (Non Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

— हस्ताक्षर —
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला ०६/०६/१६

पृष्ठाकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, फतेहाबाद को उनके पत्र कमांक सा-1/2015/10/452-54 दिनांक 10.12.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त फतेहाबाद।
- 3 जिला खजाना अधिकारी फतेहाबाद
- 4 उप खजाना अधिकारी, टोहाना/रतिया/भूना/जाखल/भट्टू कलां/ / /
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

— हस्ताक्षर —
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा,
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development
 School Education, Haryana
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GHS Khairi (Hisar) [1233]
 Head Master GHS Farid Pur (Hisar) [1380]
 Head Master GHS Singhran (Hisar) [1332]

यादी क्रमांक 2/20-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला 26/2/2016

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (नान-प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 11.06.2010 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/20-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1500.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 GHS Khairi (Hisar) [1233] | Repair of school building | 1869000.00 |
| 2 GHS Farid Pur (Hisar) [1380] | Repair of school building rooms | 1779000.00 |
| 3 GHS Singhran (Hisar) [1332] | Repair of Roof | 200000.00 |
| कुल राशि | | 3848000.00 |

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एस0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके राशी कम/ज्यादा प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works” (Non Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 26-02-2016

पृष्ठाकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, हिसार को उनके पत्र कमांक सा-1/2015/10/452-54 दिनांक 10.12.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त हिसार।
- 3 जिला खजाना अधिकारी हिसार
- 4 उप खजाना अधिकारी, आदमपुर/हांसी/नारनौद/बरवाला/उकलाना//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

 शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development

 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GGSSS Jind (Jind) [1748]

यादी क्रमांक 2/20-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (नान-प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 11.06.2010 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/20-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1500.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|----------------------------|--------------------|-------------------|
| 1 GGSSS Jind (Jind) [1748] | repair of building | 1795000.00 |
| | कुल राशि | 1795000.00 |

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एस0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके राशी कम/ज्यादा प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works” (Non Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

— ६६६ —
अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।
 दिनांक, पंचकुला 26/12/2016

पृष्ठाकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, जीद को उनके पत्र क्रमांक सा-1/2015/10/452-54 दिनांक 10.12.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त जीद।
- 3 जिला खजाना अधिकारी जीद
- 4 उप खजाना अधिकारी, नरवाना/सफीदों/जुलाना/उचाना/पिल्लुखेड़ा//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक निर्माण
 कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
 हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GSSS Rasina (Kaithal) [2288]
 Head Master GHS Ladana Chaku (Kaithal) [2204]
 Head Master GHS Gohran (Kaithal) [2201]

यादी क्रमांक 2/20-2015 निर्माण (2)
 दिनांक पंचकुला

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (नान-प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 11.06.2010 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/20-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1500.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 1 GSSS Rasina (Kaithal) [2288] | repair | 321000.00 |
| 2 GHS Ladana Chaku (Kaithal) [2204] | repair of B/wall | 300000.00 |
| 3 GHS Gohran (Kaithal) [2201] | Repair work | 462000.00 |

कुल राशि 1083000.00

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एस0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके राशी कम/ज्यादा प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works” (Non Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

— ६६५ —
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला २६/१२/२०१६

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, कैथल को उनके पत्र क्रमांक सा-1/2015/10/452-54 दिनांक 10.12.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त कैथल।
- 3 जिला खजाना अधिकारी कैथल
- 4 उप खजाना अधिकारी, गुहला/कलायत/पुन्डरी/ढाण्ड/राजौन्द///
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

Ncarla
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GHS Hathlana (Karnal) [1865]

Principal GSSS Karnal (Karnal) [1938]

यादी क्रमांक 2/20-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमेंट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (नान-प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 11.06.2010 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/20-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1500.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-


| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1 GSSS Karnal (Karnal) [1938] | repair work in hall no. 1 | 471000.00 |
| 2 GSSS Karnal (Karnal) [1938] | repair doors & window of all rooms | 383000.00 |
| 3 GHS Hathlana (Karnal) [1865] | repair / const. of stage & B/wall | 491000.00 |
| कुल राशि | | 1345000.00 |

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एस0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके राशी कम/ज्यादा प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।


यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works” (Non Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।
दिनांक, पंचकुला 26/2/2016

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, करनाल को उनके पत्र क्रमांक सा-1/2015/10/452-54 दिनांक 10.12.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त करनाल।
- 3 जिला खजाना अधिकारी करनाल
- 4 उप खजाना अधिकारी, नीलोखेड़ी/इन्द्री/घरौण्डा/असन्ध/निसिंग/तरावड़ी//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
 विद्यालय शिक्षा निदेशालय

विद्या, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development
 School Education, Haryana
 विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
 तमसो मा ज्योतिर्गमय
 Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Head Master GHS Ferozpur (Panchkula) [3752]

Head Master GHS Samlehri (Panchkula) [3775]

Principal GSSS Basaulan (Panchkula) [3695]

यादी क्रमांक 2/20-2015 निर्माण (2)

दिनांक पंचकुला

विषय माईनर वर्क्स ग्रांट स्पेशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2015-2016 (नान-प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0क्रमांक 5/6-2005 बी एण्ड सी दिनांक 11.06.2010 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी क्रमांक 2/20-2015-निर्माण(1) दिनांक 26.06.2015 के प्रसंग में, के अन्तर्गत 1500.00 लाख रुपये की संशोधित अनुमान में प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

| विद्यालय का नाम | कार्य का नाम | प्रस्तावित राशि |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| 1 GHS Ferozpur (Panchkula) [3752] | B/wall repair | 25866.00 |
| 2 GHS Samlehri (Panchkula) [3775] | B/wall repair | 11800.00 |
| 3 GSSS Basaulan (Panchkula) [3695] | Additional Amount for B/Wall | 69000.00 |
| कुल राशि | | 106666.00 |

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एवं जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

- 1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।
- 2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पेशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।
- 3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादी क्रमांक 2/43-2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढ़ता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख-रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

- 4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एस0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।
- 5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके राशी कम/ज्यादा प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।
- 6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नहीं होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष “2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works” (Non Plan) 2015-16 के अन्तर्गत वहन करना होगा।


—ए.एम.
अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

दिनांक, पंचकुला 26/2/2016

पृष्ठाकन कमाक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 1 जिला शिक्षा अधिकारी, पंचकुला को उनके पत्र क्रमांक सा-1/2015/10/452-54 दिनांक 10.12.2015 के संदर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख-रेख में समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।
- 2 अतिरिक्त उपायुक्त पंचकुला।
- 3 जिला खजाना अधिकारी पंचकुला
- 4 उप खजाना अधिकारी, कालका/बरवाला/मोरनी/रायपुररानी//
- 5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 क्रमांक 5/6/2005-5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ में।
- 6 महालेखाकार हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।
- 7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।
- 8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।
- 9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय
- 10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


अधीक्षक निर्माण
कृते: निदेशक विद्यालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।